(17)

झारखंड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

अ0सं0–7(A)/पारा0मेडि0–11–09/09–356(7/1) रांची, दिनांक– 17.09.2010

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल एतद द्वारा झारखंड राज्य के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन पारा मेडिकल/पारा डेन्टल निबंधन, नियंत्रण एवं परीक्षा को विनियमित करने तथा पारा मेडिकल काउंसिल का गठन करने के लिए "झारखंड पारा मेडिकल/पारा डेन्टल निबंधन, नियंत्रण एवं परीक्षा संचालन तथा पारा मेडिकल परिषद गठन नियमावली 2010" का गठन करते हैं :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ:–**

(क) यह नियमावली "झारखण्ड पारा मेडिकल/पारा डेन्टल निबंधन, नियंत्रण एवं परीक्षा संचालन तथा पारा मेडिकल काउन्सिल नियमावली, 2010" कहलायेगी।

(ख) यह संपूर्ण "झारखण्ड" राज्य में लागू होगी ।

(ग) यह तुरंत के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

(घ) यह पूर्व से संचालित तथा भविष्य में स्थापित/संचालित होने वाले सभी पारा मेडिकल/पारा डेंण्टल शिक्षण संस्थानों पर लागू होगी ।

2 **परिभाषाएँ:–** इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:–

(क) "पारा मेडिकल/पारा डेन्टल" से अभिप्रेत है, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, आर्थेटिक एवं प्रॉस्थेटिक, शल्य कक्ष सहायक, नेत्र सहायक, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, स्वच्छता निरीक्षक, एक्स–रे टेक्नीशियन, डेन्टल मेकानिक, डेन्टल हाईजिनिस्ट, ड्रेसर, हियरिंग लैंगुएज एवं स्पीच थेरापी, इ0सी0जी0 टेक्नीशियन, डिप्लोमा–इन–फार्मेसी, डिप्लोमा–इन–आयुर्वेदिक फार्मेसी में चल रहे/चलाये जाने वाले तथा अन्य ऐसे अन्य पाठ्यक्रम जो राज्य सरकार समय–समय पर अधिसूचित करें, किन्तु जो राज्य/केन्द्रीय स्तर के किसी नियम/विनियम/अधिनियम के अधीन अलग से संचालित नहीं है ।

(ख) 'काउन्सिल' से तात्पर्य है इस नियमावली/नियम के अधीन गठित "झारखण्ड राज्य पारा मेडिकल काउन्सिल" ।

(ग) "परिषद्" से अभिप्रेत है, नियम 4 के अंतर्गत गठित पारा मेडिकल काउंसिल।

(घ) 'पाठ्यक्रम' से अभिप्रेत है, पारा मेडिकल/पारा डेण्टल डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट से संबंधित पाठ्यक्रम ।

(ड़) 'परीक्षा नियंत्रक' से अभिप्रेत है, अध्यक्ष, पारा मेडिकल काउंसिल के द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं के संचालन के लिए नियुक्त निर्दिष्ट अधिकारी/संस्था/कार्यालय।

(च) 'नियम' से अभिप्रेत है, 'झारखण्ड पारा मेडिकल/पारा डेन्टल निबंधन, नियंत्रण एवं परीक्षा संचालन तथा पारा मेंडिकल परिषद् गठन नियमावली 2010 ।

(छ) 'सरकार' से अभिप्रेत है, झारखण्ड सरकार ।

(ज) 'परीक्षाएँ' से अभिप्रेत है, पारा मेडिकल/पारा डेण्टल प्रशिक्षण के दौरान एवं प्रशिक्षण के पश्चात् संबंधित परीक्षाएँ ।

(झ) 'परीक्षा समिति' से अभिप्रेत है, नियम 5 (घ) के अंतर्गत शासी परिषद् के द्वारा गठित/नामित परीक्षा समिति।

(ञ) "कार्यकारी निदेशक" से अभिप्राय है काउंन्सिल की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष जो परिषद् के सदस्य–सचिव भी होंगे।

3– **पारा मेडिकल एवं पारा डेण्टल शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं नियंत्रण :–**

इस नियम के उपबंधों के विपरीत कोई भी व्यक्ति/न्यास/संस्था/संगठन/सोसायटी/या कोई अन्य प्राधिकार पारा मेडिकल/पारा डेण्टल पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण के लिए कोई संस्था स्थापित या संचालित नहीं करेगा ।

यदि किसी कोर्स/पाठ्यक्रम के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्/भारतीय दन्त परिषद्/भारतीय पुनर्वास परिषद्/भारतीय भैषज्य परिषद् द्वारा अन्य कोई मापदंड/पाठ्यक्रम या अन्य शर्त्त निर्धारित है तो वैसे कोर्स/पाठ्यक्रम के मामले में उक्त परिषद् के प्रावधान लागू होंगे तथा उस हद तक इस नियम के प्रावधान शिथिल माने जाएंगे ।

4. <u>पारा मेडिकल काउन्सिल/शासी परिषद् :–</u>

इस काउन्सिल के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे:–

1. झारखण्ड राज्य में सभी पारा मेडिकल कर्मियों का पंजीकरण करना।
2. झारखण्ड राज्य में चिकित्सा विज्ञान के एलोपैथी/डेण्टल/आयुष पद्धतियों के पारा मेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के संचालन की व्यवस्था करना तथा इन पाठ्यक्रमों के सरकारी एवं निजी संस्थानों की संबद्धता करना ।
3. पारा मेडिकल पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं का संचालन करना तथा उससे संबंधित डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट्स प्रदान करना।

(i) <u>परिषद् के सदस्य</u> :

काउन्सिल की एक शासी परिषद् होगी जिसके निम्न रूप से सदस्य होंगे–

<u>(क) पदेन सदस्य</u>

1.	निदेशक, प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड	अध्यक्ष
2.	निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, झारखण्ड	उपाध्यक्ष

3.	निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, झारखण्ड	सदस्य
4.	निदेशक, आयुष, झारखण्ड	सदस्य
5.	नियंत्रक, राज्य डिप्लोमा तकनीकी परीक्षा परिषद् (विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग) झारखण्ड, राँची	सदस्य
6.	स्वा0, चि0 शि0 एवं प0 क0 विभाग, झारखण्ड, राँची के द्वारा नामित कोई राजपत्रित पदाधिकारी जिसे नियम सं0–8 में वर्णित अर्हतायें प्राप्त हों।	सदस्य–सचिव

(ख) मनोनीत सदस्य

1.	निदेशक, रिम्स, राँची	सदस्य
2.	प्राचार्य, राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, चाईबासा, झारखण्ड	सदस्य
3.	विभागाध्यक्ष, ऑर्थोपेडिक विभाग, रिम्स, राँची	सदस्य
4.	राज्य के तीनों चिकित्सा महाविद्यालयों में पारा मेडिकल पाठ्यक्रमों के को–आर्डिनेटर	सदस्य

(ii) शासी परिषद् के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के सभी कार्यों का सम्पादन शासी परिषद् के उपाध्यक्ष करेंगे।

(iii). अयोग्यताऐं :–

नीचे वर्णित अयोग्यताओं में से कोई एक भी अयोग्यता होने पर कोई व्यक्ति परिषद् के सदस्य के रूप में मनोनयन अथवा निर्वाचन के लिए योग्य नहीं होगा, यदि–

(क) वह भारत का नागरिक नहीं हो।
(ख) वह दिवालिया घोषित हो।
(ग) वह असंतुलित मस्तिष्क का हो।
(घ) नैतिक अवमूल्यन के मामले में सजायाफ्ता हो।
(ड) वह काउंसिल का कर्मचारी हो और वह वहाँ से वेतन या मानदेय पाता हो।
(च) निबंधित चिकित्सकों/पारा चिकित्सकों का निबंधन पंजी से उनका नाम हटा दिया गया हो।

5. **पारा मेडिकल काउन्सिल के कार्य:–**

(क) पारा मेडिकल काउन्सिल के उद्देश्यों की प्राप्ति तथा कार्य व्यवस्था के लिये इस नियमावली के अंतर्गत गठित शासी परिषद् समय–समय पर आवश्यक उप–नियम बना सकेगी। इस प्रकार के सभी उप–नियमों की प्रति राज्य सरकार को प्रेषित की जाएगी।

(ख) निबंधन पर्षद (बोर्ड ऑफ रजिस्ट्रेशन):—

शासी परिषद् के द्वारा एक निबंधन पर्षद् गठित की जायेगी, जिसके द्वारा योग्यताधारी सभी पारा मेडिकल कर्मियों का निबंधन किया जायेगा। पारा मेडिकल कर्मियों के पंजीकरण के पूर्व उनके द्वारा निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करना आवश्यक होगा :—

(i) झारखण्ड पारा मेडिकल काउन्सिल द्वारा प्रमाणित यथा संबंधित पाठ्यक्रम में उतीर्णता प्रमाण–पत्र ।

(ii) दूसरे राज्यों के पारा मेडिकल कौउन्सिलों द्वारा संचालित यथा सबंधित पाठ्यक्रमों में उतीर्णता प्रमाण–पत्र।

(iii) केन्द्रीय शिक्षा परिषद् (सी0 एम0 ए0 आई0) द्वारा संचालित यथा संबंधित पाठ्यक्रमों में उतीर्णता प्रमाण–पत्र ।

(iv) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के द्वारा संचालित यथा संबंधित पाठ्यक्रमों में उतीर्णता प्रमाण–पत्र ।

(v) शासी परिषद् द्वारा निर्णीत तथा राष्ट्रीय स्तर के अन्य पारा मेडिकल परिषदों के द्वारा संचालित यथा संबंधित पाठ्यक्रमों में उतीर्णता प्रमाण–पत्र ।

(ग) पारा मेडिकल शैक्षणिक समिति (कमेटी ऑफ पारा मेडिकल एजुकेशन):—

पारा मेडिकल काउन्सिल के शैक्षणिक कार्यों के गुणवत्ता/मानकों को देखने के लिए शासी परिषद् एक शैक्षणिक समिति का गठन करेगी जिसके निम्नलिखित कार्य होंगे –

(i) राज्य में पारा मेडिकल पाठ्यक्रमों की आवश्यकता का आकलन करते हुए इनके शैक्षणिक पाठ्क्रमों की संरचना एवं परीक्षा पद्धतियों को तैयार करना।

(ii) पारा मेडिकल पाठ्क्रमों में नामांकन, आयु सीमा, पाठ्यक्रम की अवधि, सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक कक्षाओं के लिए आधारभूत संरचना के मानकों का निर्धारण करना ।

(iii) सरकारी एवं गैर–सरकारी पारा मेडिकल शैक्षणिक संस्थानों की मान्यता के लिये प्राप्त आवेदनों पर कार्रवाई करना।

(iv) संस्थानों की गुणवत्ता के निमित आवधिक निरीक्षण करना।

(घ) पारा मेडिकल परीक्षा समिति का गठन:—

शासी परिषद् द्वारा एक परीक्षा समिति गठित अथवा नामित की जाएगी, जिसके निम्नलिखित कार्य होंगे:—

(i) परीक्षाओं का स्वयं अथवा आउटसोर्सिंग के आधार पर संचालन कराना एवं सफल छात्रों को प्रमाण पत्र का निर्गमन करना।

(ii) परीक्षा केन्द्रों की स्वीकृति करना।

(iii) परीक्षाओं के निमित्त परीक्षकों के पैनेल का गठन करना।

(iv) पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए परीक्षा का आयोजन एवं संचालन अथवा प्रवेश के लिए उपयुक्त वैकल्पिक पद्धतियों का निरूपण करना।

(ङ) <u>काउन्सिल के प्रशासनिक कार्य:—</u>

अन्य के अलावा, काउन्सिल के निम्नलिखित प्रशासनिक कार्य होंगे:—

(i) विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए शैक्षणिक संस्थानों से शैक्षणिक संयोजकों की नियुक्ति करना।

(ii) राष्ट्रीयकृत बैंक में "झारखण्ड पारा मेडिकल काउन्सिल" के नाम से एक बचत खाते का संचालन सदस्य सचिव तथा परिषद द्वारा नामित एक अन्य सदस्य के द्वारा संयुक्त रूप से सुनिश्चित करना ।

(iii) सरकारी/गैर सरकारी पारा मेडिकल/पारा डेन्टल संस्थानों के विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए शुल्कों (Fee structure) का निर्धारण तथा इस हेतु अधिसीमा का निश्चय करना।

(iv) सबद्ध संस्थानों के छात्रों से परीक्षा शुल्क की प्राप्ति करना।

(v) पारा मेडिकल बोर्ड के लेखा का प्रत्येक वर्ष राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षक से अंकेक्षण कराना, आदि।

6. <u>डिप्लोमा पाठ्यक्रमों का संचालन:—</u>

निबंधित संस्थानों द्वारा निम्न विषयों में डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित किया जा सकेगा:—

1	फिजियोथेरापी	डी.पी.टी.(डिप्लोमा —इन—फिजियोथेरापी)
2	आकुपेशनल थेरापी	डी.ओ.टी. (डिप्लोमा—इन—आकुपेशनल थेरापी)
3	ऑपरेशन थियेटर सहायक	डी.ओ.टी.ए.(डिप्लोमा—इन—ऑपरेशन थियेटर सहायक)
4	औपथेलमिक सहायक	डी.ओ.ए.(डिप्लोमा—इन—औपथेलमिक असिस्टेंट)
5	मेडिकल प्रयोगशाला टेकनिशियन	डी.एम.एल.टी.(डिप्लोमा—इन—मेडिकल लैब टेकनिशियन)
6	स्वच्छता निरीक्षक	डी.एस.आई.(डिप्लोमा—इन—सेनीटरी इंस्पेक्टर)
7	एक्स—रे—टेकनिशियन	डी.एम.आर. (डिप्लोमा—इन—मेडिकल रेडियोग्राफी)
8	ई.सी.जी. टेकनिशियन	डी.ई.सी.जी. (डिप्लोमा—इन—ई.सी.जी.)
9	हियरिंग लैंगुवेज एण्ड स्पीच थेरापी	डी.एल.एच.एस. (डिप्लोमा—इन—हियरिंग लैंगुवेज एण्ड स्पीच थेरापी)
10.	औथोटिक तथा प्रोस्थेटिक	डी.ओ.पी. (डिप्लोमा—इन—औथोटिक तथा प्रोस्थेटिक)
11	डिप्लोमा—इन—फार्मेसी	डी. फार्मा
12	डिप्लोमा—इन—आयुर्वेदिक फार्मेसी	डी. फार्मा (आयुर्वेदिक फार्मेसी)

उपरोक्त डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य विषय में डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के संचालन के प्रस्तावों पर, उसकी आवश्यकता एवं उपादेयता पर विचार कर, शासी—परिषद् निर्णय लेकर उन्हें शामिल कर सकेगी ।

7. <u>शासी परिषद की बैठकः–</u>
शासी परिषद की बैठक कम से कम 6 माह में एक बार अवश्य की जाएगी । ऐसी बैठक सदस्य–सचिव द्वारा आहूत की जायेगी तथा इसकी अध्यक्षता अध्यक्ष, शासी परिषद करेंगे।

8. <u>कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति, अर्हत्तायें इत्यादिः–</u>
शासी परिषद् द्वारा पदेन सदस्यों में से एक सदस्य को सदस्य–सचिव के रूप में नामित किया जायेगा, जो कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्य करेंगे। कार्यकारी निदेशक सह सदस्य–सचिव के लिए अर्हताएं निम्नवत् होगी :–

(i) राज्य स्वास्थ्य सेवा संवर्ग/राज्य स्वास्थ्य शैक्षणिक सेवा संवर्ग में पन्द्रह वर्षों का कार्य अनुभव ।
(ii) चिकित्सा विज्ञान के किसी विषय में एम0 बी0 बी0 एस0 के पश्चात् डिप्लोमा अथवा डिग्री की योग्यता ।

9. <u>कार्यकारी निदेशक की सहायता के लिए पूर्णकालिक कर्मियों की नियुक्तिः–</u>
कार्यकारी निदेशक की सहायता के लिए निम्नांकित कार्मिक होंगे :–

(i) **निबंधक** : जो चिकित्सा महाविद्यालयों के सहायक प्राध्यापक स्तर के होंगे तथा ये प्रतिनियुक्ति के आधार पर पदस्थापित होंगे ।
(ii) **शैक्षणिक समन्वयक (Academic Co—ordinator)** : ये काउन्सिल के शैक्षणिक बोर्ड के प्रभारी होंगे । इस पद को भी चिकित्सा महाविद्यालयों के संबंधित विभागों के सहायक प्राध्यापकों से प्रतिनियुक्ति पर भरा जायेगा ।
(iii) **परीक्षा नियंत्रक** : इस पद को भी चिकित्सा महाविद्यालयों के सहायक प्राध्यापकों में से प्रतिनियुक्ति पर भरा जायेगा ।
(iv) **लेखा पदाधिकारी** : यह पद या तो सीधी नियुक्ति अथवा प्रतिनियुक्ति से भरा जायेगा।
(v) आवश्यकतानुसार प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय सहायक–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर, आदेशपाल, वाहन चालक आदि पदों का सृजन परिषद् कर सकेगी लेकिन ये सारे पद अनुबंध/आउट–सोर्सिंग के आधार पर भरे जायेंगे।

10. काउन्सिल का कार्यालय शासी परिषद् के द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर स्थापित किया जायगा ।

11. कार्यकारी निदेशक–सह–सदस्य सचिव के द्वारा काउन्सिल के कार्यो के लिए एक कार्यकारी समिति का गठन निम्नवत् किया जायगा ।

1	कार्यकारी निदेशक–सह–सदस्य सचिव	अध्यक्ष
2	निबंधक पारा मेडिकल काउन्सिल	सदस्य

3	एकेडेमिकँ कॉर्डिनेटर	सदस्य
4	परीक्षा नियंत्रक पारा मेडिकल काउन्सिल	सदस्य
5	विभिन्न पाठ्यक्रमों के संयोजक	सदस्य

12. **पाठ्यक्रम संयोजक (Convenor)-**

(i) पारा मेडिकल काउन्सिल के द्वारा संचालित विभिन्न पारा मेडिकल पाठ्यक्रमों में से प्रत्येक के लिए एक संयोजक की नियुक्ति की जाएगी।

(ii) संयोजक का पद अवैतनिक होगा तथा एक बार में इसकी कार्यावधि 3 वर्षो की होगी।

(iii) संयोजक संबंधित पाठ्यक्रम के सहायक प्राध्यापक स्तर के होंगे।

(iv) संयोजक की अनुशंसा शैक्षणिक समन्वयक के द्वारा की जाएगी तथा शासी परिषद् इसका अनुमोदन करेगी।

(v) संयोजक (Convenor) प्रत्यक्ष रूप से शैक्षणिक समन्वयक के प्रति उतरादायी होंगे।

13. **पाठ्यक्रम संयोजक (Convenor) के कार्य**

(i) पाठ्यक्रमों एवं परीक्षा पद्वति का निर्माण करना।

(ii) संस्थानों के लिए पाठ्क्रमों के संचालन तथा छात्रों के नामांकन की अर्हत्ता के लिये न्यूनतम मापदण्डों का निर्माण करना।

(iii) संस्थानो के शैक्षणिक कार्यो की गुणवत्ता सुनिश्चित कराने में शैक्षणिक समन्वयक को सहायता करना।

(iv) परीक्षा नियंत्रक को परीक्षा के पत्रों तथा प्रायोगिक परीक्षाओं में सहायता करना

(v) निबंधक को दूसरे काउन्सिल/विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित समरूप पाठ्यक्रमों के मूल्यांकन, परीक्षण तथा निबंधन कार्यों में सहायता करना।

(vi) संयोजक यदि राज्य सरकार की सेवा में नही होंगे तो उन्हे अपने कार्यो के निर्वहन के लिए मानदेय तथा यात्रा व्यय दिया जाएगा ।

14. **पारा मेडिकल काउन्सिल का वित्तीय संपोषण:-**

(i) झारखण्ड सरकार के द्वारा काउन्सिल को 10 लाख रूपये का एकल अनुदान दिया जायगा ।

(ii) शासी परिषद् की बैठक मे कार्यकारी निदेशक-सह-सदस्य सचिव को वित्तीय अधिकार प्रत्यायोजित किए जाएंगे तथा राष्ट्रीय बैंक में खाता खोलने का निर्णय लिया जाएगा ।

(iii) कार्यकारी निदेशक के द्वारा काउन्सिल के गठन के 3 (तीन) माह के अन्दर आय-व्ययक का निर्माण कर शासी परिषद् के समक्ष उपस्थिापित किया जाएगा।

(iv) पारा मेडिकल काउन्सिल एक स्ववित्त पोषित संस्था होगी, जिसमें निम्न मदों से प्राप्तियाँ होंगी, जिन्हें काउन्सिल के द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जा सकेगा।

(क) झारखण्ड राज्य में कार्यरत/कार्य करने को इच्छुक पारा मेडिकल कर्मियों के निबंधन से प्राप्त होने वाली राशि ।

(ख) पारा मेडिकल संस्थानों की संबद्धता के एवज में प्राप्त शुल्क।

(ग) परीक्षा शुल्क ।

(घ) अन्य कोई शुल्क/निधि जो शासी परिषद् अनुमत करे।

15. आवेदन :–

यदि कोई व्यक्ति, न्यास, संगठन, समिति, कम्पनी या संस्था पारा मेडिकल/पारा डेन्टल शिक्षण संस्थान खोलने का इच्छुक है अथवा पारा मेडिकल/पारा डेन्टल अध्ययन का नया अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण प्रारंभ करना चहता है, अथवा प्रशिक्षण के किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना चाहता है तो उसे इस नियम में निर्धारित मापदण्डों का अनुसरण करना होगा एवं वांछित जानकारी सहित कार्यकारी निदेशक को निम्न प्रकार से आवेदन देना होगा –

1. यदि वह नया पारा मेडिकल/पारा डेन्टल संस्थान स्थापित करना चाहता है तो प्रपत्र–I में आवेदन प्रस्तुत करेगा।

2. यदि वह पारा मेडिकल/पारा डेन्टल संस्थान प्रशिक्षण का नया अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम खोलना चाहता है तो प्रपत्र–II में आवेदन प्रस्तुत करेगा।

3. यदि वह पारा मेडिकल/पारा डेन्टल संस्थान प्रशिक्षण के किसी पाठ्यक्रम कि वार्षिक प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना चाहता है तो वह प्रपत्र–III में आवेदन प्रस्तुत करेगा।

16. शुल्क :–

1. आवेदन–पत्र के साथ कार्यकारी निदेशक के पद नाम से डिमाण्ड ड्राफ्ट के द्वारा निम्न शुल्क देय होगा।

(क) नया संस्थान प्रारम्भ करने के लिए– रू0 50,000/– (पचास हजार रूपये)।

(ख) पूर्व में चल रहे पाठ्यक्रमों की संख्या में वृद्वि अथवा नामांकन क्षमता में वृद्धि हेतु प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु 20(बीस) हजार रूपये ।

(ग) मान्यता प्राप्त प्रत्येक संस्थान को प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष के लिए पूर्ववर्त्ती वर्ष के 31 दिसम्बर तक 05 (पाँच) हजार रूपये का भुगतान सामान्य जाँच के निमित्त देना अनिवार्य होगा।

उपरोक्त सभी प्रकार के शुल्कों को "काउन्सिल" समय–समय पर पुनर्निर्धारित कर सकेगी।

17. मान्यता पूर्व निरीक्षणः—

निर्धारित शुल्क सहित आवेदन—पत्र प्राप्त होने पर कार्यकारी निदेशक द्वारा एक विशेषज्ञ समिति गठित कर प्रस्तावित संस्थान का स्थल निरीक्षण कराया जाएगा कि प्रस्तावित संस्थान इस नियम के द्वारा निर्धारित न्यूनतम मापदण्डों को पूरा करता हैं अथवा नहीं । यह निरीक्षण सामान्यतः आवेदन पत्र की प्राप्ति के 3 माह के अंदर सम्पन हो जाना चाहिए । यदि किसी कारणवश ऐसा नहीं हो सके तो निरीक्षण के लिए कार्यकारी निदेशक के द्वारा समय सीमा बढ़ायी जा सकेगी ।

18. मान्यता की बचनबद्धता—

आवेदक वचनबद्व होगा कि—

(क) सस्थान की स्थापना और संचालन वैयक्तिक लाभ के लिए नहीं होगा ।

(ख) प्रबंधन में हुए किसी प्रकार के परिवर्तन की सूचना राज्य सरकार को परिवर्तन की तिथि से 15 दिनों के अन्दर दी जाएगी ।

(ग) सभी प्राप्तियॉ चाहे वे किसी भी रूप मे हों, संस्थान निधि में आकलित होंगी और संस्थान के राजस्व का भाग होगी ।

(घ) संस्था के लेखा—जोखा का अंकेक्षण मान्यता प्राप्त चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा प्रति वर्ष कराना अनिवार्य होगा ।

(च) छात्रों/अविभावकों से कोई कैपिटेशन शुल्क किसी भी रूप में वसूल नहीं किया जाएगा ।

(छ) पारा मेडिकल/पारा डेन्टल संस्थान द्वारा इस नियम में निर्धारित मापदण्डों/मानकों/शर्त्तों का पालन नहीं करने की स्थिति में परिषद्/काउन्सिल द्वारा सामान्य या विशेष आदेश से प्राधिकृत कोई पदाधिकारी संस्थान को प्रदत्त मान्यता की वापसी हेतु स्वतंत्र होगा ।

19. मान्यताः—

(i) नियम—17 के अन्तर्गत गठित विशेषज्ञ समिति के निरीक्षण के पश्चात् प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की समीक्षोपरान्त परिषद् सम्बन्धित संस्थान को मान्यता प्रदान करने के बिन्दु पर निर्णय ले सकेगी ।

(ii) सभी पारा मेडिकल/पारा डेन्टल शिक्षण संस्थानों की जॉच मान्यता प्रदान करने के वर्ष से कम—से—कम 5 वर्ष, प्रति वर्ष विशेषज्ञ समिति द्वारा की जाएगी । इस समिति के प्रतिवेदन के आधार पर परिषद् सम्बन्धित संस्थान में नामांकन पर रोक लगा सकेगी या उसकी मान्यता समाप्त कर सकेगी ।

(iii) ऐसे पारा मेडिकल/पारा डेन्टल शिक्षण संस्थान जो राज्य सरकार की अनुमति से पूर्व से झारखण्ड राज्य में संचालित है, उन्हें अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से इस नियम के अन्तर्गत निर्धारित न्यूनतम मानक को पूरा करने हेतु अधिकतम एक वर्ष का समय दिया जाएगा और उक्त समय समाप्ति के एक माह के अन्दर ऐसे संस्थानों को मान्यता हेतु विहित प्रपत्र में नये सिरे से आवेदन करना होगा तथा परिषद् की अनुमति के बिना किसी भी छात्र का प्रवेश तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि परिषद् के द्वारा इस नियम के अन्तर्गत मान्यता प्रदान नहीं कर दी जाती है; परन्तु

परिषद् आवेदन प्राप्ति की तिथि से 3 (तीन) माह के अन्दर ऐसे संस्थानों की मान्यता पर अवश्य निर्णय ले लेगी ।

(iv) इस नियम के अधीन प्राप्त आवेदन पर विचार करने के बाद यदि परिषद् मान्यता प्रदान नहीं करती है तो संस्था के आयोजकों को मान्यता की अस्वीकृति की तिथि से 03 (तीन) महीने की अवधि के भीतर संस्था को बन्द करना होगा ।

(v) परिषद् इस नियम के उपबन्धों का उल्लंघन करने वाले किसी संस्थान के परिसर में निरीक्षण करने और इस नियम के उपबन्धों को लागू करने के निमित प्रवेश के लिए किसी पदाधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगी और ऐसे पदाधिकारी को ऐसी शक्ति दी जा सकेगी कि वह ऐसी संस्था को बन्द अथवा सील कर दें ।

20. क्षतिपूर्त्ति :–

I. इस नियम के किसी उपबंध का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति अथवा संस्था एक बार में अधिकतम् 10 (दस) हजार रूपये तक की क्षतिपूर्त्ति का भागी होगा।

किसी व्यक्ति अथवा संस्था के द्वारा इस नियम अथवा परिषद् के द्वारा निर्गत किसी उप–नियम/प्रावधान/पत्र के उल्लंघन करने पर परिषद् इस नियम के अधीन किये गये निबन्धन अथवा प्रदत्त डिप्लोमा/सर्टिफिकेट को रद्द करने हेतु स्वतंत्र होगी।

21. पारा मेडिकल/पारा डेन्टल शिक्षण संस्थानों को पूरा करने हेतु न्यूनतम् मापदण्ड :–

कोई भी व्यक्ति/निकाय/संस्थान/सोसाईटी आदि जो पारा मेडिकल/पारा डेन्टल कोर्स के किसी भी विषय में प्रशिक्षण के लिए शिक्षण संस्थान की स्थापना हेतु इच्छुक हो, तो उसे भूमि, भवन, प्रशिक्षण क्षेत्र, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, उपकरण, म्यूजियम, फर्नीचर, प्राचार्य/शिक्षक, स्टाफिंग पैटर्न, शिक्षकेत्तर कर्मचारी, अध्यापन साधन, आवासीय क्षेत्र तथा अन्य सुविधाओं व आवश्यकताओं के प्रावधान पूर्ण करने होंगे जो किसी पाठ्यक्रम विशेष अथवा उनके समूह हेतु पारा मेडिकल, शैक्षणिक परिषद् के द्वारा सर्वसाधारण की सूचना हेतु विहित किये जाएंगे।

22. **उपकरण/म्यूजियम/पुस्तकालय/प्रयोगशाला/फर्नीचर**– जाँच समिति के द्वारा पारा मेडिकल/पारा डेंटल कोर्स संचालित करने हेतु अनुमति के विचारार्थ सभी कोर्सों के लिए उपकरण/आवश्यक सामग्री, म्यूजियम/पुस्तकालय/प्रयोगशाला/फर्नीचर आदि की आवश्यकता अनुसार सूची निर्धारित की जाएगी , जिसकी व्यवस्था संस्था द्वारा करनी होगी ।

23. उप–नियम बनाने की शक्तियाँ :–

इन नियमों के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए काउन्सिल यथा आवश्यकता कार्यक्रम/पाठ्यक्रम/नीति/निर्धारित कर सकेगी तथा आवश्यक उप–नियम प्रतिपादित कर सकेगी अथवा कोई भी आदेश जो इस नियम के अधीन हो, निर्गत कर सकेगी।

24. संस्था का निरीक्षण एवं जाँच :–

(I) इस नियम के अधीन काउन्सिल/परिषद् के द्वारा प्राधिकृत कोई पदाधिकारी/कर्मचारी किसी भी निबंधित अथवा अनिबंधित संस्था/भवन/स्थल

का निरीक्षण व जाँच कर सकेगा, जो किसी भी रूप में पारा मेडिकल/पारा डेन्टल शिक्षा से संबंधित कार्य कर रही हो अथवा ऐसा करने की सूचना प्राप्त हो।

इस नियम के किसी प्रावधान अथवा नियम के अधीन निर्गत किसी उप–नियम, आदेश, प्रावधान अथवा पत्र का उल्लंघन पाये जाने पर ऐसी संस्था /भवन/स्थल को सील–बन्द किया जा सकेगा।

(।।) किसी भी जिले के उपायुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी अथवा सिविल सर्जन इस नियम के अन्तर्गत किसी संस्था–स्थान की जॉच कर सकेंगे तथा काउन्सिल द्वारा बनाये गये नियमों के उल्लंघन पाये जाने पर व्यक्ति /संस्था के विरूद्व कानूनी कार्रवाई करते हुये संबंधित परिसर/भवन को सील कर सकेंगे ।

25. निजी क्षेत्र में संचालित पारा मेडिकल/पारा डेण्टल संस्थान से संदर्भित किसी विवाद में राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होगा और वह सभी संस्थानों पर समान रूप से लागू होगा। इन नियमों के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये काउन्सिल राज्य सरकार को आवश्यक सुझाव दे सकेगी।

26. स्वास्थ्य सेवाओं तथा स्वास्थ्य शिक्षा के सम्बर्द्धन के लिये राज्य सरकार पारा मेडिकल काउन्सिल को दिशा–निर्देश दे सकेगी जिनका अनुपालन अनिवार्य होगा ।

27. पारा मेडिकल काउन्सिल स्वास्थ्य शिक्षा के सम्बर्द्धन तथा स्वास्थ्य सेवाओं में कार्यरत कर्मियों की गुणवत्ता में वृद्वि के लिये अन्य कार्यक्रम/पाठ्यक्रम बना सकेगी तथा उन्हें संचालित करने के लिये सरकारी /गैर सरकारी संस्थाओं को सम्बद्धता दे सकेगी ।

28. पारा मेडिकल काउन्सिल, नियम–14(।) में उल्लेखित अनुदान के सहित अपना वित्तीय प्रबन्धन इस प्रकार करेगी की यह वित्तीय रूप से स्वावलम्बी रहे।

29. इस विषय के संदर्भ में उत्पन्न किसी भी कानूनी विवाद का क्षेत्र माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड होगा ।

17/3/2010

(डी० के० तिवारी)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक 356 (स्वा०)/ दिनांक 17.09.2010

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय डोरण्डा, राँची को असाधारण गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है प्रकाशित गजट की 500 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

17/9/2010

(डी० के० तिवारी)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक 356 (स्वा०) दिनांक 17.09.2010

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, झारखंड को सूचनार्थ प्रेषित।

17/9/2010

(डी० के० तिवारी)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक 356 (स्वा०) दिनांक 17.09.2010

प्रतिलिपिः– महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/सदस्य राजस्व पर्षद/प्रधान सचिव/ सचिव/ विभागाध्यक्ष, सभी विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित ।

17/9/2010

(डी० के० तिवारी)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक 356 (स्वा०) दिनांक 17.09.2010

प्रतिलिपिः– सभी उपायुक्त, झारखंड/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड / निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, झारखण्ड/ निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, झारखण्ड/ निदेशक, आयुष, झारखण्ड/ निदेशक, रिम्स, राँची/ निदेशक, रिनपास, राँची/प्राचार्य एवं अधीक्षक, एम०जी०एम० मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर, पी०एम०सी०एच०, धनबाद/परीक्षा नियंत्रक, राज्य डिप्लोमा तकनीकी परीक्षा परिषद् (विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग) झारखण्ड, राँची /प्राचार्य, राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, चाईबासा, झारखण्ड/ विभागाध्यक्ष, ऑर्थोपेडिक विभाग, रिम्स, राँची / राज्य के तीनों चिकित्सा महाविद्यालयों में पारा मेडिकल पाठ्यक्रमों के को–आर्डिनेटर /सभी सिविल सर्जन/सभी अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, झारखंड/सभी विभागीय पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, झारखंड को सूचनार्थ प्रेषित ।

17/9/2010

(डी० के० तिवारी)
सरकार के सचिव